राजस्व वाद संख्या:—25 / 2023
महेन्द्र सिंह बनाम फुलाराम वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

श्रीमती सुमन देवी ||(आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारीः—

मु0नं0 25 / 2023

01. महेन्द्र सिंह पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी अमानाची सुरजगड जिला झुन्झुनू राजस्थान (मृतक)

1/1. शकुन्तला देवी पत्नी स्व महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी अगवानी खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्नू राजस्थान

1/2 सुशिल कुमार पुत्र स्व महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी अगवानी खुर्व तहसील सूरजगढ़ जिला शुन्नू राजस्थान

1/3 पृथ्वी सिंह पुत्र स्वर महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी अगवानी पूर्व तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/4 मुनिता पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी अगवाना पूर्व हाले पत्नी श्री अमित कुमार जाति मेधचाल निवासी बिशनपुरा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

—आवेदकगण

बनाम

01. फुलाराम पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी अपचाना खुर्द तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

02. सुभाष पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी अपचाना खुर्द तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान (मृतक)

2/1. सरोज देवी पत्नी स्व० सुभाष जाति मेघवाल निवासी अगवाना खुर्द तहसील रजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

2/2 मुनेष पुत्री स्व० सुभाष जाति मेघवाल निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

2/3. पिकी पुत्री स्व० सुभाष जाति मेघवाल निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

03. दिनेश पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

04. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक

05. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक

06. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम अगवाना खुर्द में भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 2.20 हैक्टर स्थित है आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें आवेदक का 1\3 हिस्सा निहित है जिसमें आवेदक ने नजरी नक्शा दर्शाया (क) स्थान पर अपना पुख्ता रिहायशी मकानात व बोरिंग बनाकर आबाद है।

यह कि आवेदक ग्राम अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ में भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 2.20 है० भूमि का खातेदार काश्तकार है। तथा उक्त भूमि में आवेदक ने अपने पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर

राजस्व वाद संख्या--25 / 2023
महेन्द्र सिंह बनाम फूलाराम वगै0
निर्णय दिनांक-- 20.06.2025

आबाद है जिसमें आवेदक को ऊंट गाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर व अन्य वाहन लाने ले जाने के लिये अनावेदक 1 के भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 2.20 हैक्टर भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 299 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 299 में आने के लिये चाहता है। इसलिये आवेदक अधिकृती अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 ए की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करते हैं।

यह कि आवेदक के खेत व रिहायशी मकान में जाने बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत व रिहायशी मकानों में जाने बाबत अनावेदक संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 298 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाने वाला कटानी रास्ता से नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू ए से बी तक अपने खेत खसरा नम्बर 299 के लिये चाहता हैं उक्त रास्ते से निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है व आवेदक नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते के अनुसार ही आना जाना कर रहे थे वर्तमान में उक्त रास्ता अनावेदक नम्बर 01 ने बन्द कर दिया है।

यह कि आवेदक उक्त रास्ते बाबत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि या बदले की जमीन देने को तैयार है इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक खेत खसरा नम्बर 299 में बने रिहायशी मकानात व विद्युत चालित बोरिंग व खेत में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाडा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत व बोरिंग की मोटर खराब होने पर मशीन लाने ले जाने बाबत खसरा नम्बर 298 रकबा 2.20 हैक्टर के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर 16 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 299 में जाने के लिये नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड राजस्व में अमल दरामद दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/569 दिनांक 22.08.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतषुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/569 दिनांक 22.08.2023 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 299 मौजा अंगवाना खुर्द में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 298 अप्रार्थीगण की भूमि में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 56 मीटर जिसमे 04 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 224 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/569 दिनांक 22.08.2023 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 299 मौजा अगवाना खुर्द में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 298 अप्रार्थीगण की भूमि में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 56 मीटर जिसमे 04 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 224 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—25/2023
महेन्द्र सिंह बनाम फुलाराम वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

तहसीलदार सूरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में. अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी प्र० आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी प्र० आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ